निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 256) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2024

विधि विभाग

अधिसूचना
14 मार्च, 2024

सं० एल०जी०–01–11–2024/1998/लेज: ।–बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक– 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव(प्र०)।

[बिहार अधिनियम 10, 2024]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :—चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत-गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—**

(1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-8 के परन्तुक का संशोधन ।—** उक्त अधिनियम, की धारा-8 के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।"

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव(प्र०)।

14 मार्च, 2024

सं० एल०जी०–01–11–2024 / 1999 / लेजः।–बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :–

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव(प्र०)।

[Bihar Act 10, 2024]

Bihar Technical Service Commission (amendment) ACT, 2024

AN

ACT

to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, Bihar Technical Service Commission is created by the Bihar Technical Service Commission Act, 2014, and the amendment in the section-8 is appropriate in the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy five year of Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2024".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once on publication in official gazette.

2. Amendment in Proviso of Section-8 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014).- Proviso of section-8 of the said Act shall be substituted as follows:-

"Provided that, The Commission may select and recommend for the appointment to all posts including General Medical Officer, Specialist Medical Officer of Bihar Health Service Cadre and all posts of Indira Gandhi Institute of Cardiology Medical Service Cadre, and such other posts under the control of Health Department as the Government may from time to time decide."

Jyotiswaroop Srivastava,
I/C Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 256-571+400-डी०टी०पी० ।
Website: http://egazette.bih.nic.in